

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 41/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/64

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा

बनाम


श्री गणपतलाल पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा
निवासी वार्ड नं.8, श्रीजी नगर कॉलोनी,
तलवाड़ा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (फर्म
मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स भेरुनाथ चाट
भण्डार, मेन रोड, तलवाड़ा, बांसवाड़ा जिला
बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल राजसमन्द (राज.) के द्वारा दिनांक 06-10-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 09-11-2020 को 11.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स भेरुनाथ चाट भण्डार, मेन रोड, तलवाड़ा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री गणपतलाल पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में लगभग 60 कचौरी (रिफा. सोयाबीन तेल, मुंगदाल, मसाले से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु पायी गई। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए 28 नग (2 किलोग्राम) कचौरी (रिफा. सोयाबीन तेल, मुंगदाल, मसाले से निर्मित) वास्ते नमुना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 280 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा 28 नग (2 किलोग्राम) कचौरी (रिफा. सोयाबीन तेल, मुंगदाल, मसाले से निर्मित) को चार साफ, सुखी व खाली प्लास्टिक (जार) में बराबर-बराबर मात्रा लेकर फार्मलीन की 40-40 बूंद प्रत्येक में डालकर ढक्कन एयर बन्द किया। उपर्युक्त चार नमुना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रती औउटकवर में



3

सील बन्द कर सील मोहर कर चौथा भाग जांच हेतु डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/20/302 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 306 दिनांक 13.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया की गई 28 नग (2 किलोग्राम) कचौरी (रिफा. सोयाबीन तेल, मुंगदाल, मसाले से निर्मित) Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-10-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।


दिनांक 15.11.2021 को अभियुक्त श्री गणपतलाल पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/20/302 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 306 दिनांक 13.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया की गई कचौरी (रिफा. सोयाबीन तेल, मुंगदाल, मसाले से निर्मित) Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।



अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत विक्रेता द्वारा सबस्टैण्डर्ड किया गया कचौरी (रिफा. सोयाबीन तेल, मुंगदाल, मसाले से निर्मित) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री गणपतलाल पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा निवासी वार्ड नं.8, श्रीजी नगर कॉलोनी, तलवाडा, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स भेरुनाथ चाट भण्डार, मेन रोड, तलवाडा, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा को 15,000/- (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(आर. जिला कार्यालय)
बांसवाड़ा (राज.)